तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10.08.2021 वकील उभयपक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा वादिया/प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। गत पेशी पर वकील प्रतिवादी/विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के जवाब के लिए मौका चाहा गया था। जवाब पेश नहीं किया गया तथा सीधे बहस करने की इच्छा प्रकट की। ऐसी सूरतेहाल में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र के जवाब को बंद किया जाता है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादिया/प्रार्थिया के विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर सनाढ्य के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और यह प्रकट किया गया कि वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वादिया द्वारा उसकी मौरूसी शामलाती जायदाद का विवरण अंकित किया हुआ है। उक्त सम्पत्तियों में कृषि भूमि के संबंध में भी विभाजन कराने की दाद चाही गई है, परन्तु सहवन से वाद प्रस्तुत करते समय राजस्व न्यायालय, राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर को पक्षकार बनाना रह गया। चूंकि तहसीलदार भूमिधारी होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार है जिनके पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादिया को अपनी पैतृक सम्पत्ति कृषि भूमि में अपना हक प्राप्त करना संभव नहीं हो पायेगा। अतः इस वाद में तहसीलदार, खमनोर को प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों का विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादीगण/विपक्षीगण ने विरोध किया और यह प्रकट किया कि वादिया/प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत हो जाने के उपरांत अत्यंत विलम्ब से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में तहसीलदार, खमनोर को इस स्टेज पर पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। यह तर्क देते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के तर्कों पर गौर किया। दावे, जवाबदावे तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली पर गौर किया।	

वादिया/प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में तहसीलदार, खमनोर आवश्यक पक्षकार होना बताया गया है, इस संबंध में वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादिया/प्रार्थिया द्वारा यह वाद उसके पिता स्व0 गिरधारीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति व मौरूसी सम्पत्ति कृषि भूमियों के मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा उक्त कृषि भूमियों में अपना हिस्सा कायम कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने के संबंध में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया गया है और इसमें सहवन से राजस्व न्यायालय, राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना रह जाना बताया है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति कृषि भूमि है और प्रकरण अभी जवाबदावा की स्टेज पर लम्बित है, ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट है कि इस दावे के न्यायपूर्ण और ऋजु निस्तारण के लिए तहसीलदार, खमनोर को बतौर प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 8 जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः वादिया/प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 8 के रूप में तहसीलदार, खमनोर को बतौर पक्षकार जोड़ा जाता है। वादिया/प्रार्थिया को आदेशित किया जाता है कि अन्दर अवधि संशोधित शीर्षक पेश करे।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक .... को पेश हो।